

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

Notification No. 97/2017 - Customs (N.T.)

Dated the 24th October, 2017
02 Kartika, 1939 (SAKA)

In exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise & Customs hereby makes the following further amendments in the Notification of the Central Board of Excise and Customs No.96/2017-CUSTOMS (N.T.), dated 18th October, 2017, with effect from 25th October, 2017, namely:-

In the SCHEDULE-I of the said Notification for serial No.12 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely

SCHEDULE-I

Sl.No.	Foreign Currency	Rate of exchange of one unit of foreign currency equivalent to Indian rupees	
		(1)	(2)
		(a)	(b)
		(For Imported Goods)	(For Export Goods)
12.	Qatari Riyal	18.40	17.40

[F.No. 468/01/2017-Cus.V]

(Dr. Sreeparvathy S.L.)
Under Secretary to the Govt. of India
TELE: 011-2309 5541

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
 (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)
 अधिसूचना सं. 97/2017 - सीमा शुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017

02 कार्तिक, 1939 (शक)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं. 96/2017-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, में दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 से निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थातः-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची-I में क्रम संख्या 12, और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

अनुसूची-I

क्रं.सं.	विदेशी मुद्रा	भारतीय रु. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर	
(1)	(2)	(3)	
		(क)	(ख)
		(आयातित माल के लिए)	(निर्यात माल के लिए)
12.	कतारी रियाल	18.40	17.40

(फा.सं. 468/01/2017 सीमा शुल्क-V)

(डॉ. श्रीपार्वती एस. एल.)
 अवर सचिव, भारत सरकार
 टेलीफ़ोन नं. 011-2309 5541

